From No. III

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

अज अदालत सहा. कलक्टर (मुकाम) [illegible]

[illegible] देवी बनाम मोहन लाल वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा पत्र अ. आदेश 39 नियम ~~[illegible]~~ व प्रा. धारा 151 सीपीसी नं. 122 सन् 2019

तारीख हुक्मा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए।
23/7/19	वकील प्रार्थी उपा। वकील प्रार्थी ने प्रा० पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 पठित धारा 151 CPC का पेश किया जो बाद रिपोर्ट दर्ज किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली वास्ते इन्तजार तलबी आयंदा दिनांक 19/8/19 को पेश हो। [signature] सहा. कलक्टर [illegible]	409 23/7/19 9 ~~[illegible]~~ 147 23/7/19
19/8/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपा। अप्रार्थीगण के समन्स बाद तामील प्राप्त हुए। ~~[illegible]~~ अप्रार्थी मोहन लाल की तरफ से अधिवक्ता अजीत सिंह सोलंकी ने वकालतनामा पेश किया तथा जवाब हेतु समय चाहा न्यायहित में समय दिया जाकर पत्रावली वास्ते इन्तजार जवाब प्रा०पत्र आयंदा दिनांक 15/10/19 को पेश हो। [signature] सहा. कलक्टर [illegible]	
15/10/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी उपा। वकील अप्रार्थी को जवाब प्रा० पत्र हेतु अंतिम समय दिया जाकर पत्रावली वास्ते इन्तजार जवाब प्रा०पत्र एवं बहस आयंदा दिनांक 22/10/19 को पेश हो। [signature] सहा. कलक्टर [illegible]	

तारीख हुक्मा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज
22/10/19	पत्रावली आज पेश हुई। बजुलाय उप०। वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रा० पत्र पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध कराई जावे। जवाब प्राप्त होने पर पत्रावली वास्ते बहस प्रा० पत्र आइंदा दिनांक 8/12/19 को पेश हो।
8/12/19	पत्रावली आज पेश हुई। बजुलाय उप०। बजुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में जाहिर किया कि न्यायालय हाजा में अपील विचाराधीन थी जिसमें रेस्पो. सं. 1 को जवाब हेतु 9 अवसर दिये गए किन्तु रेस्पो० नं० 1 द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया था। तत्पश्चात दिनांक 25/2/17 को तारीख पेशी नियत की गई थी तथा 25/2/17 को अवकाश बताकर दिनांक 27/2/17 को नियत की गई। जिसमें अपीलार्थी अधिवक्ता को अनुपस्थित बताकर अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया गया जबकि प्रकरण जवाब रेस्पो० में नियत था अपीलार्थी अथवा अधिवक्ता अपीलार्थी की अनुपस्थिति ज्यादा मायने नहीं रखती थी जबकि रेस्पो० को जवाब देना था। उसे बन्द नहीं किया जाकर अदम पैरवी में खारिज की गई जो न्यायसंगत नहीं है। अपीलार्थी अधिवक्ता अथवा अपीलार्थी ने जानबूझ कर न्यायालय की अवहेलना नहीं की है बल्कि अनभिज्ञता के कारण उपस्थिति दर्ज नहीं हो सकी। दिनांक 13/7/19 को आदेशिकाओं की प्रमाणित प्रति लेने पर ज्ञात हुआ की प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जा ~~सकता है~~ चुका था। जो पुनः रेस्टोर किया जाना नितान्त आवश्यक है तथा अपील को गुणावगुण के आधार पर ~~खारिज~~ निर्णित किया जाना उचित है। वकील अप्रार्थी ने जाहिर किया कि दौराने सुनवाई अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील की नकल आवश्यक रूप से उपलब्ध नहीं कराई थी जिस कारण जवाब नहीं दिया जा सका। साथ ही दिनांक की अथवा अपील खारिज होने की सूचना देने का विधि में कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही अधिवक्ता अपनी अनुपस्थिति के दौरान किसी अन्य अधिवक्ता को पैरवी के लिए नियुक्त कर सकते थे। साथ ही प्रा०पत्र करीब दो वर्ष बाद पेश किया है जो कि म्याद के बाहर है। अतः प्रा०पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जावे। हमने बजुलाय की बहस सुनी। प्रा०पत्र मय शपथ पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जैसा की वकील प्रार्थी ने बताया कि पूर्व में दिनांक 25/2/17 को पत्रावली (अपील) वास्ते जवाब नियत थी किंतु दिनांक 25/2/17 को अवकाश बताकर दिनांक 27/2/17

तारीख हुक्मा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए ।
	को तलब की गई। तथा पत्रावली का अवलोकन करने पर तथा प्रस्तुत आदेशिका की प्रमाणित प्रति का अवलोकन करने पर पाया गया कि पूर्व मे अपीलार्थी अधिवक्ता की अनुपस्थिति का जिक्र नहीं है, अपितु अपीलार्थी अधिवक्ता उपस्थित रहे, तथा पत्रावली जवाब अपील मे नियत थी, जबकि अपीलार्थी अधिवक्ता को अनुपस्थिति का कारण स्पष्ट करने हेतु अवसर भी दिया जाना प्रतीत नही होता है। साथ ही अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर दिया जाना भी न्यायोचित है अतः अपीलार्थी का प्रा०पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा मूल अपील सं. 37/15 को पुनः दर्ज किया जावे तथा नया नम्बर दिया जाकर पुनः नियत पेशी से कार्यवाही आगे चलाई जावे। प्रा०पत्र निर्णीत किया जाकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 3/12/19 को सुनाया गया। सहायक कलेक्टर मकराना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailendra Singh
Date: 2020.02.06 16:52:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: